मध्यप्रदेश विधान सभा

जनवरी–अप्रैल, 2001 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 21 मार्च, 2001 (फाल्गुन 30, 1922)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री अजय मुशरान, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 80 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्र. ए-3-74-99-विक-पांच (4), दिनांक 22 जनवरी, 2001 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, सागर जिले में राजीव गांधी वाटर शेड मिशन के अंतर्गत अनियमितता होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य, भोपाल जिले के शाहपुरा गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में सुविधाओं का अभाव होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. लोक लेखा, प्राक्कलन तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों के लिए निर्वाचन

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 221 के उपनियम (3), 223 के उपनियम (2) तथा 223-ख के उपनियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए क्रमशः लोक लेखा, प्राक्कलन तथा सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों के सदस्य होने के लिए अपने में से 11-11 सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों."

5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए निर्वाचन

श्रीमती उर्मिला सिंह, आदिम जाति कल्याण मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगी :-

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 234-ख के उपनियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से वर्ष 2001-2002 के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य होने के लिए अपने में से 15 सदस्यों के निर्वाचन के लिए (जिनमें क्रमशः चार-चार सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शासन द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्ग के होंगे) अग्रसर हों."

6. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्रीमती जून चौधरी, सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का आठवां एवं नवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी.

7. श्रम मंत्री का वक्तव्य

श्री डोमन सिंह नगपुरे, श्रम मंत्री, दिनांक 5 मार्च, 2001 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्रमांक 5202) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

8. वर्ष 2001-2002 के अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

निर्धारित समय			
2 घन्टे	(1)	मांग संख्या-21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय
		मांग संख्या-27	स्कूल शिक्षा
		मांग संख्या-73	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें
		मांग संख्या-91	ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-स्कूल शिक्षा.
1 घन्टा	(2)	मांग संख्या-11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय.
1 घन्टा	(3)	मांग संख्या-44	उच्च शिक्षा.
1 घन्टा	(4)	मांग संख्या-15	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
		मांग संख्या-49	अनुसूचित जाति कल्याण
		मांग संख्या-62	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
		मांग संख्या-64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना
		मांग संख्या-79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय.

निर्धारित समय	(5)	मांग संख्या-26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय
		मांग संख्या-30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय
2 घन्टे		मांग संख्या-37	पर्यटन
		मांग संख्या-59	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
		मांग संख्या-70	ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत विशेष समस्याएं-पर्यटन
		मांग संख्या-78	ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-पंचायत एवं ग्रामीण विकास
		मांग संख्या-80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
		मांग संख्या-82	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
		मांग संख्या-92	ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-संस्कृति.
2 घन्टे	(6)	मांग संख्या- 3	पुलिस
		मांग संख्या- 4	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय
		मांग संख्या-65	विमानन विभाग
		मांग संख्या-85	ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-पुलिस.
1 घन्टा	(7)	मांग संख्या-20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी.
2 घन्टे	(8)	मांग संख्या-22	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय
		मांग संख्या-53	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
		मांग संख्या-69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण
		मांग संख्या-81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
		मांग संख्या-83	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
		मांग संख्या-87	ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-नगरीय प्रशासन एवं विकास.
2 घन्टे	(9)	मांग संख्या-12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय
		मांग संख्या-25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय.
30 मि.	(10)	मांग संख्या- 5	जेल
		मांग संख्या-63	अल्प संख्यक कल्याण विभाग से संबंधित व्यय
		मांग संख्या-72	गैस दुर्घटना राहत कार्यों से संबंधित व्यय
		मांग संख्या-86	ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-जेल.
30 मि.	(11)	मांग संख्या-18	श्रम
		मांग संख्या-66	पिछड़ा वर्ग कल्याण.
30 मि.	(12)	मांग संख्या-16	मछली पालन.
30 मि.	(13)	मांग संख्या-14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय
		मांग संख्या-56	ग्रामोद्योग
		मांग संख्या-71	पशुपालन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें.
30 मि.	(14)	मांग संख्या-17	सहकारिता.
30 मि.	(15)	मांग संख्या-47	तकनीकी शिक्षा तथा जनशक्ति नियोजन विभाग
		मांग संख्या-51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व.
1 घन्टा	(16)	मांग संख्या- 1	सामान्य प्रशासन
		मांग संख्या- 2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय
		मांग संख्या-29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन
		मांग संख्या-88	ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-न्याय प्रशासन.
30 मि.	(17)	मांग संख्या-43	खेल और युवक कल्याण
		मांग संख्या-46	विज्ञान और टेक्नॉलॉजी
		मांग संख्या-77	ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत विशेष समस्याएं-खेल एवं युवक कल्याण.
30 मि.	(18)	मांग संख्या-39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय.

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2001 (क्रमांक 6 सन् 2001) का पुरःस्थापन* करेंगे.

के.पी.तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 20 मार्च, 2001

---

* मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.